राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 836/2010/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, घट–प्रथम, वृत–तृतीय, राज. जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स भगवान सहाय पुत्र श्री रामजीलाल जांगिड़,
ग्राम सुमेल, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, बस्सी, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 837/2010/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, घट–प्रथम, वृत–तृतीय, राज. जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी, सी–151, तिलकनगर, जयपुर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 07/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या क्रमशः 88 व 89/RVAT/जे/2009–10 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 19.11.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा क्रमशः 76(9) व 76(6) के तहत पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 07.07.2009 को अपास्त किया है।

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.04.2009 को सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन संख्या आर.जे.–14/जीबी–8638 को घाट की गुणी में रोक कर चेक किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा एक लिफाफा पेश किया गया, जिसे

लगातार.....2

वाहन चालक के सामने खोलकर देखा गया तो उसमें एक कम्प्यूटराईज्ड बिल क्रमांक 124 दिनांक 22.04.2009 की एक प्रति पायी गयी जिसमें प्रेषक मैसर्स खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर अंकित है। वाहन में वहनित माल 90 नग गुटखा पाया गया जो जनता कॉलानी, जयपुर से लोड किया जाना बताया गया। उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा अन्य कोई दस्तावेज माल के साथ नहीं पाया गया। उक्त लिफाफे में पाये गये तथाकथित बिल पर हस्ताक्षर भी अनाधिकृत व्यक्ति के होना पाया गया। अतः माल सहित वाहन को धारा 78(5)(ए) एवं (9) के अधीन निरूद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी व्यवहारी एवं वाहन चालक/माल प्रभारी श्री रमेशचंद को धारा 76(6) (9) एवं 92 के अधीन नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को संतोषजनक नहीं मानते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(9) व 76(6) के तहत पृथक—पृथक शास्ति रूपये 1,65,000/— आरोपित किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 07.07.2009 को पारित किये गये। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2009 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी को तारीख पेशी की सूचना जरिये अखबार प्रकाशन के दी गई थी, किन्तु उसकी ओर से अपील सुनवाई के समय कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। अतः अपीलों के गुणावगुण पर सुनवाई कर एकपक्षीय आदेश पारित जा रहा है।

5. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त जांच ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही प्रस्तुत किये गये बिल में अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होता है। उनका कथन है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से करापवंचन की दोषी मानसिकता से माल का परिवहन किया जाना प्रमाणित है, इसलिए सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) व 76(9) के अंतर्गत आरोपित शास्ति पूर्णतया उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

लगातार.....3

6. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वक्त चैकिंग माल के साथ केवल बिल संख्या 124 दिनांक 22.04.2009 प्रस्तुत किया गया। ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। इस बाबत प्रत्यर्थी व्यवहारी को जारी किये गये नोटिस की पालना में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामप्रताप प्रोपराईटर फर्म द्वारा बयान दिया गया कि **"आज दि0 22/4/09 को आपने वाहन सं0 RJ-14 GB 8638 को वास्ते जांच रोका है मुझे पता लगने पर मैं कर भवन में आपके समक्ष पेश हुआ हूं। यह माल तिलकनगर C-151 मेरी फर्म से भरा है सुबह 6 — 6.30 बजे भरा था। बिल प्रेमप्रकाश ने बनाया था। माल W ट्रेडर्स भरतपुर को भेंजा जा रहा है। उक्त माल मैंने कल दि0 21/4/09 को ए. एम. प्रोडक्ट्स जवाहरनगर से खरीदा है।"**

8. इसके पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा श्री राजेश कुमार को उनकी फर्म के उक्त पते सी—151 तिलकनगर ले जाया गया, जिस पर वहां कोई फर्म नहीं पायी गयी, इस पर प्रत्यर्थी द्वारा पुनःश्च बयान दिया कि **"पुनश्चः आप मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर मेरे द्वारा उपर बताये गोदाम C—151 तिलकनगर लेकर गए तो वहां कोई गोदाम नहीं पाया गया। एक कमरे में कम्प्यूटर रखा गया है जिसमें मैं खरीद बिक्री का लेखा करता हूं। वास्तव में उक्त माल बी—186 जनता कॉलोनी जयपुर से लदान किया गया है। माल आज सुबह ही बी—186 जनता कॉलोनी से लदान हुआ है। मेरे पास अन्तिम खरीद बिल नं. 132 दि0 19/4/09 का है। आज आप द्वारा रोके गए माल का कोई खरीद बिल नहीं है।"**

9. उक्त बयानों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से गलत बयान दिये गये। माल की खरीद से सम्बन्धित कोई बिल होने से इन्कार किया गया। गोदाम के बारे में गलत जानकारी दी गयी। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, किन्तु नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार प्रकरण में यह निर्विवादित है कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, किन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोई जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। जिससे यह स्पष्ट है कि

लगातार.....4

विवादित माल बिना बिल्टी एवं विधिक दस्तावेजों के परिवहनित किया जा रहा था, बिल पर भी अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं होने से इसे मान्यता नहीं दी जा सकती। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 76(2) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

76. Establishment of check–post or barrier and inspection of goods while in movement. –

(1) .....

(2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall–

(a) stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set–up under sub–section (1);

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;

(c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check–post or barrier;

(d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and

(e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check–post or barrier or any other person authorised by such Incharge.

Explanation.– For the purpose of this Chapter 'goods in movement' shall mean –

(i) the goods which are in the possession or control of a transporting agency or person or other such bailee;

(ii) the goods which are being carried in a vehicle or carrier belonging to the owner of such goods; and

(iii) the goods which are being carried by a person.

10. अपील संख्या 836/2010 भी इसी प्रकरण से सम्बन्धित है, जिसमें वेट अधिनियम की धारा 76(9) के तहत वाहन मालिक पर करापवंचन में सहयोग के अभियोग में शास्ति आरोपित की गयी है। इस सम्बन्ध में धारा 76(9) निम्न प्रकार है :–

लगातार.....5

(9) Where the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of the vehicle or the carrier is found guilty for violation of the provisions of sub–section (2), the Incharge of the check–post or barrier or the officer authorized under sub–section (4) may detain such vehicle or carrier and after affording an opportunity of being heard to such owner, driver or person, may impose a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

11. उक्त प्रावधानों के अनुसार माल परिवहन के समय बिल/चालान, बिल्टी एवं घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है, उक्त दस्तावेजों का प्रकरण में सर्वथा अभाव रहता है। साथ ही वाहन मालिक/वाहन चालक से यह अपेक्षा की गयी है कि वे विधिक प्रावधानों के अनुसार माल का परिवहन करेंगे। ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम के प्रावधानों की पालना के अभाव में सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण पूर्णतया उचित रूप से किया गया है। जहां तक अपील संख्या 836/2010 में करापवंचन में सहयोग के लिये वाहन मालिक पर शास्ति आरोपण का प्रश्न है धारा 76(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये धारा 76(9) के तहत वाहन मालिक/माल प्रभारी पर शास्ति आरोपणीय है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरणों में आरोपित शास्ति पूर्णतया विधिसम्मत है।

12. अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए धारा 76(6) व 76(9) के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की दोनों अपीलें स्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश दिनांक 19.11.2009 अपास्त किये जाकर, सक्षम अधिकारी के आदेश पुनः यंथावत बहाल किये जाते हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष